

20.9.21 पत्रावली प्रशासन गांवों के संग अधियान-2
के तहत केम्प कोर्ट रजलावता में डि 2402
को पेश है।

02/10/21 पत्रावली प्रशासन गांवों के संग अधियान
2021 के तहत केम्प कोर्ट रजलावता में
पेश हुई। वाद पत्र के सम्बन्ध में तहसीलदार
नैनवां से रिपोर्ट प्राप्त हुई है। तहसीलदार
नैनवां से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार ग्राम
रजलावता पटवार मण्डल रजलावता के
ख.सं. 788, 789, 826, 828, 831 कुल
किता 5 कुल रकबा 1.9093 हेम्टैयर भूमि
पर दुर्गाशंकर पूरी, मोहन पूरी मि. वीरपूरी
धापू, श्रला, सोसर पुत्री वीरपूरी कीम
गुसाई सा देह. हाल आबाद समरावता
लीजदार रिकार्ड दर्ज हैं। मौके पर उक्त
लीजदारों का कब्जा नहीं है। उक्त भूमि
के कुछ भाग पर कन्हैयालाल आठ जगन्नाथ
जाति धाकड़ निवासी रजलावता पोखर पि.
दिसा जाति गुजर निवासी रजलावता तथा
कुछ भाग पर अन्य लोगों का कब्जा है।
पञ्जरान की जारी केम्प नोटिस लीटर
प्राप्त नहीं हुए हैं। हमने वाद पत्र, शपथपत्र
उत्तुत रिकार्ड दस्तावेजात आदि अ प्रवलोका
किया। तहसीलदार रिपोर्ट से स्पष्ट है कि
वादीगण उक्त विवादित भूमि पर कब्जा
नहीं है अतः खातेदारी उदान किया जाना
न्यायोचित उचित नहीं होता है अतः वादीगण
का वाद खारिज किया जाता है। निर्णय
सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से क्रम
की जाकर वाद तर्कमूलक वाखिल दर्ज
है।

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बून्ती)